विश्वविद्यालय स्वायत्तता के स्तर
(Levels of University Autonomy)

कोठारी आयोग ने विश्वविद्यालय स्वायत्तता को कार्य रूप देने के लिए निम्नलिखित तीन स्तरों का वर्णन किया है—

(1) **विश्वविद्यालय में स्वायत्तता** (Autonomy Within University)

(2) **विश्वविद्यालय तन्त्र के सन्दर्भ मे स्वायत्तता** (Autonomy Within the University System)

(3) **बाह्य संस्थाओं के सन्दर्भ में स्वायत्तता** (Autonomy in Relation to outside Agencies)

(1) **विश्वविद्यालय में स्वायत्तता** (Autonomy within University)—विश्वविद्यालय में स्वायत्तता का अर्थ विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभागों, सम्बद्ध महाविद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों आदि की स्वायत्तता से है। विश्वविद्यालय में शैक्षिक विषयों में वास्तविक शक्ति विषय विभागों के हाथों में होनी चाहिए। अन्य अशैक्षिक लोगों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। शैक्षिक विभाग अपने में पूर्णतः स्वतंत्र होने चाहिए। सभी आर्थिक और प्रशासनिक शाक्तियाँ उन्हीं के पास होनी चाहिए। विभाग स्तर पर कमेटी बनाकर इस कार्य को किया जाना चाहिए। विभाग के सभी अध्यापक परस्पर विचार-विमर्श व सहयोग के द्वारा विभिन्न विषयों पर निर्णय लें और उनको कार्यान्वित करें। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों की तरह सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी विषय विभागों को अपने आन्तरिक शैक्षिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय के अभिशासन में इस सिद्धान्त को मान्यता मिलनी चाहिए कि अच्छे विचार कोई उच्च स्तर के व्यक्तियों का ही एकाधिकार नहीं है। वे उनके मस्तिष्क की ही उपज नहीं हैं, वे नीचे के स्तर के व्यक्तियों से भी आ सकते हैं, अतः उनका भी विकास व प्रयोग आवश्यक है।

सामान्य समस्याओं तथा कठिनाइयों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय और उसके प्रत्येक विभाग में अध्यापकों और छात्रों की संयुक्त समितियाँ बनायी जानी चाहिए तथा संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति गठित की जानी चाहिए, जिसमें अध्यापकों और छात्रों के कुछ प्रतिनिधि सदस्य रूप में सम्मिलित हों। इससे अध्यापकों और छात्रों के आपसी संबंध भी अच्छे होंगे और उनके बीच विश्वास की एक नयी भावना का उदय होगा। अध्यापकों, छात्रों और प्रशासन के बीच वर्ग विभाजन के किसी प्रयास को सफल नहीं होने देना चाहिए। विश्वविद्यालयों के प्रशासन में भाग लेने और उसके दिन-प्रतिदिन के क्रिया कलापों में अपने उत्तरदायित्वों का अनुभव कराने और उनको उत्साहित करने के लिए विद्यार्थी समाज के प्रतिनिधियों को विश्वविद्यालयों की विद्वत परिषद (एकेडेमिक काउन्सिल) और कोर्टों में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। वस्तुतः विश्वविद्यालयों को एक ऐसी बिरादरी माना जाना चाहिए जिसमें अध्यापक वरिष्ठ अध्येता होते हैं तथा छात्र कनिष्ठ अध्येता और प्रशासन इन दोनों की सेवा का साधन होता है।

Scanned by TapScanner

(2) विश्वविद्यालय तन्त्र के सन्दर्भ में स्वायत्तता (Autonomy Within the University System)—विश्वविद्यालय तंत्र के सन्दर्भ में स्वायत्तता का अर्थ एक विश्वविद्यालय का दूसरे विश्वविद्यालय से, उसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से तथा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड (IUB) से सम्बन्धित स्वायत्तता से है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को स्वतः ही अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का सदस्य बनने का अधिकार होना चाहिए और उसके द्वारा प्रदत्त सभी उपाधियाँ सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा मान्य होनी चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकारी होना चाहिए और उसे यू०जी०सी० जैसी संस्थाओं के दवाबों से भी मुक्त होना चाहिए। इससे सभी विश्वविद्यालय निर्भय होकर अपना कार्य सुचारू रूप से करे सकेंगे। विश्वविद्यालय, अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और एक-दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(3) बाह्य संस्थाओं के सन्दर्भ में स्वायत्तता (Autonomy in Relation to outside Ageneies)—वाह्य संस्थाओं का अर्थ केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से है। शिक्षा समवर्ती सूची में है, अतएव केन्द्र और राज्य दोनों का ही विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का प्रत्यक्ष संबंध केन्द्रीय सरकार से होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनको आर्थिक सहायता देता है और उन पर नियंत्रण रखता है। राज्यीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है और राज्य का उच्च शिक्षा मंत्रालय उनकी देखरेख करता है। बाह्य संस्थाओं के सन्दर्भ में स्वायत्तता का अर्थ यही है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दलों के नेता विश्वविद्यालयों के शैक्षिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियाँ राजनैतिक आधार पर न की जाकर शैक्षिक आधारों पर की जानी चाहिए। इससे वे दवाव में आकर कार्य नहीं करेंगे और विश्वविद्यालय का शैक्षिक स्तर ऊँचा उठाने में वे सफल होंगे।

Scanned by TapScanner

कोठारी कमीशन और स्वायत्तता
(Kothari Commission and Autonomy)

कोठारी कमीशन ने संप्रभुता संबंधी सिफारिशें इस प्रकार की हैं—

(1) विश्वविद्यालय की संप्रभुता अध्यापकों की नियुक्तियों तथा प्रगति, शिक्षण पद्धति, छात्रों के प्रवेश, पाठ्यक्रम के निर्धारण तथा परीक्षाओं में निहित होती है।

(2) विश्वविद्यालय में औद्योगिक वर्ग केवल इसलिये हो कि उनसे समाज के सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व हो सके, न कि इसलिये कि वे विश्वविद्यालय पर हावी हो जायें।

(3) कॉलेजों की स्थिति एवं संप्रभुता को भी विश्वविद्यालय स्तर पर महत्व दिया जाये।

(4) हर विभाग में छात्र तथा अध्यापकों की एक संयुक्त समिति हो। इसके बाद संस्था के स्तर पर एक और समिति समस्याओं पर विचार करने के लिये हो।

(5) विश्वविद्यालयों को अपने विभागों को भी संप्रभुता देनी चाहिये। आर्थिक मामले विभागाध्यक्ष के सभापतित्व में एक समिति को सौंप देने चाहियें।

(6) यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तथा इण्टर यूनीवर्सिटी बोर्ड को विद्यार्थियों की संख्या, उनके पाठ्यक्रम आदि के लिये समिति का निर्माण करना चाहिये।

(7) उत्तम बौद्धिक वर्ग का निर्माण करके विश्वविद्यालयों को अपनी संप्रभुता बनाये रखनी चाहिये।

विश्वविद्यालयों की संप्रभुता को बनाये रखने के लिये निम्नलिखित दोषों को दूर करना आवश्यक है—

(1) भारतीय विश्वविद्यालयों में गतिशीलता का अभाव है। छात्रों में आत्मप्रेरणा नहीं है। जूनियर्स को दबाना, प्रतिभा का विकास न करना प्रमुख हैं।

Scanned by TapScanner

(2) विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य अपने कर्त्तव्यों को नियमपूर्वक पूर्ण नहीं करते। सिंडीकेट इस स्थिति का लाभ उठाती हैं।

(3) विश्वविद्यालय में संरचनात्मक दोष पाये जाते हैं।

(4) प्रवेश पर भी अवांछित प्रभावों को इस्तेमाल किया जाता है।

(5) एकेडमिक काउंसिल पर भी पाठ्यक्रम आदि के निर्धारण हेतु प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बनाये रखने के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं—

डॉ० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर के अनुसार—*"मैं भी ऐसी संप्रभुता नहीं चाहता कि जैसी वह कही जाती है। यदि सत्य कहा भी जाये तो जूते को पहनने वाला ही जानता है कि वह कहाँ पर काटता है। यह किसी भी प्रकार संप्रभुता नहीं है। अनेक मामलों में शिक्षा मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होते हैं। सेक्रेट्री पर सेक्रेट्री हमें यह बताते हैं कि यह लागू करना चाहिये। ऐसे संदेश प्राप्त होते हैं, यदि हम उन्हें पालन करें तो हम ईसा की कहानी में वर्णित मनुष्य, बालक तथा गधे की कहानी के पात्र-स्वरूप हो जाते हैं।"*

वर्तमान में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालयों से संबंधित संस्थायें केन्द्र व राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहकर ही कार्य करती हैं। विश्वविद्यालयों को केन्द्र या राज्य द्वारा पारित अधिनियमों तथा सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप कार्य करना होता है। विश्वविद्यालय का कुलपति व अन्य अधिकारी भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के नियम राज्य द्वारा बनाये जाते हैं। आर्थिक पक्ष भी वित्त अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार के अधिकार में रहता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर भी केन्द्र सरकार का अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता है। विश्वविद्यालयों में विभिन्न विभागों, अध्यापकों तथा छात्रों को स्वायत्तता नहीं है। उन्हें विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, विभागाध्यक्षों, संकायाध्यक्षों के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्त संस्था घोषित किया जाये तथा विश्वविद्यालयों की आन्तरिक स्वायत्तता को भी सुनिश्चित किया जाये। तब ही विश्वविद्यालय राष्ट्र के विकास में सर्वोत्तम योगदान कर सकेंगे।

Scanned by TapScanner